

प्रतिवेदन

कार्य का नाम :- राजकीय महाविद्यालय मासी (अल्मोडा) का नव निर्माण।

प्रस्तावना :-

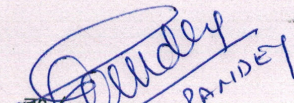
इस कार्य की स्वीकृति शासनादेश संख्या 1808(1)/XXIV(7)/2014/25(घो0)/12 दिनांक 27 अगस्त, 2014 के द्वारा प्राप्त हुयी है। उत्तर में चौखुटिया महाविद्यालय 16 किमी०, दक्षिण में भिकियासैन महाविद्यालय 23 किमी०, पश्चिम में स्याल्दे महाविद्यालय 35 किमी० तथा पूरब में रानीखेत महाविद्यालय 65 किमी० की दूर अवस्थित होने के कारण, स्थानिय जनता की महत्वाकांक्षा थी कि उनके बच्चों की इण्टर के बाद उच्च शिक्षा का कोई केन्द्र उन्हें मिले। स्थानीय जनता के अथक प्रयास एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप 27 अगस्त, 2014 को महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति शासन द्वारा की गयी। जिला अल्मोडा में चौखुटिया तहसील एवं ब्लाक मुख्यालय से लगभग 14 किमी० की दूरी पर रामगंगा नदी के किनारे ग्राम मासी में राजकीय इण्टर कालेज परिसर में उक्त महाविद्यालय का कार्य आरम्भ विगत 29 सितम्बर 2014 से प्रारम्भ हो चुका है। विगत सत्र में 56 छात्र/छात्राओं द्वारा बी०ए० प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया गया है तथा इस सत्र का परीक्षाफल हमारे महाविद्यालय का आस-पास के सभी महाविद्यालयों से बेहतर रहा है। इस सत्र में 70 छात्र/छात्रायें बी०ए० प्रथम कक्षा में अध्ययनरत हैं। अगले सत्र में यह संख्या 100 से अधिक होने की सम्भावना है। सन् 2017 तक इस महाविद्यालय के स्नातक कक्षाओं के प्रथम बैच की शिक्षा पूर्ण हो चुकी होगी एवं उन्हें स्नातक उपाधि मिल चुकी होगी।

उद्देश्य :-

इस महाविद्यालय के निर्माण से इस क्षेत्र के लगभग 15 इण्टर कालेजों के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। निर्धन छात्र जो भिकियासेन अथवा चौखुटिया या रानीखेत का व्ययभार वहन नहीं कर पाते उन छात्रों के लिए यह एक अनुकूलतम विकल्प होगा। चूंकि महाविद्यालय के नजदीक अन्य कोई उच्च शिक्षा का केन्द्र नहीं है अतः स्थानीय निर्धन छात्रों/छात्राओं के व्यक्तित्व विकास एवं उच्च शिक्षा की लालसा पूरी करने में यह महाविद्यालय पूर्णतः सफल होगा। अभिभावक जो छात्राओं को अन्यत्र नहीं भेजना चाहते या नहीं भेज सकते उनके लिए यह अमूल्य वरदान सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इस महाविद्यालय में अध्ययन के उपरान्त छात्र/छात्रायें किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अर्ह हो जायेंगे, जिससे भविष्य में उनकी तरक्की की सम्भावनायें बढ़ जायेंगी। शिक्षा ही एक मात्र ऐसा साधन है जिससे पूरे समाज की संरचना अनुकूल दिशा की ओर मोड़ी जा सकती है।

संस्तुति :-

इस प्रकार इस भवन निर्माण में कुल वन पंचायत भूमि 0.962 हैक्टेयर प्रभावित होगी। जो भी वन पंचायत भूमि को क्षति होगी उसके लिए भविष्य में महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र/छात्रायें वन संरक्षण एवं वन सम्बर्द्धन में अपना योगदान देकर एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे एवं क्षति की अपेक्षा कई गुना अधिक योगदान देंगे। उक्त वन भूमि का प्रस्ताव गठित कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।


 प्राचार्य
 Dr. P. C. PANDEY